संख्या-45/2015/क०नि०-4-1501/11-2015-300(5)/2005

प्रेषक,

धीरेन्द्र कुमार वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0 लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 लखनऊःदिनांक 03 नवम्बर, 2015

विषयः-जनपद सहारनपुर में निर्मित कार्यालय भवन के अवशेष निर्माण कार्यो को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-स0नि0-सहारनपुर-36-क0भ0निर्माण/2014-15/427/वाणिज्य कर, दिनॉक-15.09.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद सहारनपुर में निर्मित कार्यालय भवन के निर्माण के अवशेष कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, सहारनपुर द्वारा परियोजना की मूल लागत रू0 1049.19 लाख के सापेक्ष पुनरीक्षित आगणन रू0 1445.41 लाख का प्रस्तुत किया गया। कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत उक्त आगणन रू0 1445.41 लाख के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा परियोजना की लागत रू0 1388.68 लाख आंकलित की गयी है। प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित परियोजना की लागत रू0 1388.68 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए अन्तर की धनराशि रू0 339.49 लाख के सापेक्ष रू0 270.06 लाख (रू0 दो करोड़ सत्तर लाख छह हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन, अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते हैः-

1. आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
2. प्रायोजना का अन्तिम रूप से अनुमोदित मानचित्र/डिजाइन के आधार पर विस्तृत आगणन का गठन करते हुए सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य कराया जाय।
3. परियोजना निर्माण में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. निर्माण के समय कार्य की विशिष्टिया, मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था/कमिश्नर, वाणिज्य कर का होगा।

5. उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/ द्विरावृत्ति न हो, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व कमिश्नर, वाणिज्य कर का होगा।

6. परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 में जारी दिशा -निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-89 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-13-क्षेत्रीय कार्यालय-1321- जनपद सहारनपुर में वाणिज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-9-355/दस-2015, दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
धीरेन्द कुमार वर्मा,
अनु सचिव।

संख्या- क0नि0-4-1501 (1) /11-2015 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,इलाहबाद।
2- महालेखाकार(लेखापरीक्षा) प्रथम/द्वितीय,इलाहाबाद।
3- जिलाधिकारी, सहारनपुर/मुख्य कोषाधिकारी, सहारनपुर ,उ0प्र0।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
5- प्रबन्ध निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0जल निगम, लखनऊ।
6- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
धीरेन्द्र कुमार वर्मा,
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।